प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) सं 224 / 2020

1 – संतोष कुमार चौहान पिता स्वर्गीय श्री बुधवारी चौहान 50 वर्ष ,

2 – सीता पिता स्वर्गीय श्री बुधवारी

दोनों गाँव रायपुर, बारद्वार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी है, वर्तमान निवास रेस्ट हाउस के पास मंड बांध, तहसील तथा पुलिस थाना खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी (ओं)

बनाम

1 – नटवर शर्मा पिता मणिराम शर्मा, निवासी ग्राम व्यापार विहार, बिलासपुर, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़। (आक्षेपित वाहन के स्वामी स्वराज मजदा वाहन का पंजीकरण सं। सी. जी. 10/डब्ल्यू 9153), जिलाः बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2 – द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड शाखा प्रबंधक रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता ऑफ ऑफेंडिंग स्वराज मजदा व्हीकल बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नं. सी. जी. 10/डब्ल्यू 9153), जिलाःरायगढ़, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी (ओं) हेतु:––श्री एम. के. जयस्वाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी सं. 3 हेतु :––श्री अनुपम दुबे, अधिवक्ता

एकल पीठ :माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

08/04/2025

1. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत दायर दावेदारों की अपील है, जिसमें विद्वान सातवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रायगढ़ (सीजी) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित दिनांक 30.09.2019 के अधिनिर्णय के तहत दिए गए क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

3.इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ (छग) के समक्ष अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि वे मृतक ननकी दाऊ चौहान के विधिक उत्तराधिकारी हैं।मृतक ननकी दाऊ स्वराज माजदा वाहन क्रमांक सी.जी. 10/डब्लू 9153 पर क्लीनर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 25.03.2017 को रात्रि लगभग 11.30 बजे जब मृतक ननकी दाऊ उक्त वाहन में सवार होकर रायगढ़ से बिलासपुर जा रहा था, तभी रास्ते में स्वराज माजदा वाहन के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए नीम के पेड़ से टकराकर दुर्घटना कारित किया। उक्त दुर्घटना में वाहन में बैठे ननकी दाऊ को गंभीर चोटें आईं तथा उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।घटना के समय मृतक ननकी दाऊ की आयु 27 वर्ष थी, जो सफाईकर्मी के रूप में कार्य कर प्रतिमाह 6,500 रुपये कमाता था तथा उसी आय से वह आवेदकों अर्थात अपने भाई-बहनों का भरण-पोषण करता था। उन्होंने अनावेदकों से ब्याज सहित 36,14,000 रुपये का क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर दावा आवेदन का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि दुर्घटना के समय मृतक नशे की हालत में था तथा उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई, जिसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाना चाहिए। आवेदक मृतक के बड़े भाई व छोटी बहन हैं, जो आश्रित विधिक उत्तराधिकारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। आवेदकों ने मृतक की आय व कार्य को प्रमाणित नहीं किया है।उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि आवेदकों द्वारा मृतक की लापरवाही को छिपाया गया था, इसलिए उनका दावा आवेदन पोषणीय नहीं है।

5. अनावेदक क्रमांक 2 ने भी अपने लिखित बयान में दावा आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया है कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के कारण नहीं हुई थी। कथित दुर्घटना स्वराज माजदा वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई।चूंकि दुर्घटना में आक्षेपित वाहन के चालक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके विधिक उत्तराधिकारी मामले में आवश्यक पक्षकार हैं। इसी प्रकार, दुर्घटना की तिथि पर, आक्षेपित वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनावेदक संख्या 1 द्वारा चलाया जा रहा था, अर्थात वैध और प्रभावी

फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना और इस तरह, बीमा कंपनी किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

6. विद्वान दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए यह माना कि दुर्घटना की तिथि को स्वराज माजदा वाहन के चालक अशोक चौहान ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाया, जिसके कारण उक्त दुर्घटना हुई जिसमें ननकी दाऊ चौहान को गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन साबित नहीं हुआ, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अनावेदक संख्या 1 और 2 को आवेदकों/दावेदारों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

7. अपीलकर्ताओं/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्भरता के नुकसान के लिए अपीलकर्ताओं/दावेदारों को क्षतिपूर्ति की कोई राशि नहीं दी है।उन्होंने तर्क दिया कि मृतक अपीलकर्ताओं के साथ रह रहा था, इसलिए, मृतक के भाई और बहन होने के नाते वे आश्रितता की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने 'आश्रितता की हानि' शीर्षक के तहत क्षतिपूर्ति की कोई राशि नहीं दी है।उन्होंने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार अपीलकर्ता मृतक की आय पर निर्भर नहीं थे, इसलिए, आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

10. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता/दावेदार मृतक के विवाहित भाई और विवाहित बहन हैं।अपीलार्थी/दावेदार सं 1 संतोष कुमार चौहान ए. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह भी विवाहित है और उसका अलग परिवार है।अपीलकर्ता/दावेदार संख्या 2 भी विवाहित है और उसका अलग परिवार है। अपने साक्ष्य में, उसने कहा कि उसके परिवार के तैयार किए गए राशन कार्ड में उसके मृतक भाई का नाम, उसकी बहन का नाम और बहन के पति का नाम दर्ज नहीं है।अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने आगे कहा कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है और उसका साला उसकी बहन के परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। मामले के उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता/दावेदार मृतक की आय पर आश्रित थे।

11. मृतक के भाई और बहन द्वारा दावा किए गए आश्रित नुकसान के लिए मुआवजे के संबंध में विवाद्यक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आनंद पाल और अन्य (2024 एसीजे 6)** के मामले में विचार किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पीड़ित के भाई-

बहन बड़े थे, विवाहित थे और उनके अपने–अपने परिवार थे।इन परिस्थितियों में, उनका पीड़ित की कमाई पर निर्भर होना असंभव है, विशेषकर तब जब पीड़ित अलग रहता हो।

12. इस मामले में भी, अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है कि मृतक अपीलकर्ताओं/दावेदारों के परिवार के साथ रह रहा था।वास्तव में, दोनों अपीलकर्ताओं/दावेदारों के अपने–अपने परिवार हैं और वे अलग–अलग रह रहे हैं।

13. हाल ही में, 2025 पक्षों की सिविल अपील संख्या 3763, साधना तोमर एवं अन्य बनाम अशोक कुशवाह एवं अन्य, 24 जनवरी 2025 को निर्धारित किया गया जिस में क्षतिपूर्ति पाने के लिए पात्र मृतक के विधिक प्रतिनिधि के संबंध में विवाद्यक पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभाभाई (1987) 3 एससीसी 234 के मामले में अपने पहले के निर्णय को दोहराया, जिसमें यह देखा गया था कि विधिक प्रतिनिधि वह है, जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चा हो।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं के अलग–अलग परिवार हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक उनके साथ रह रहा था, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों पर विचार करते हुए, मुझे विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं लगती है कि अपीलकर्ता आश्रितता की हानि के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति की राशि के हकदार नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अतः, मुझे आक्षेपित अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाते है। अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किये जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur